उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

1/7/26	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित वादी का वाद मय स्वीकार किया जाता है विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली को रजिस्टर के नम्बर में दर्ज कर पत्रावली जमा रेकर्ड भण्डार में शामिल हो उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
243 / 2018	25.07.2018	09.02.2026

बउनवान

1. सुलतान
2. गौरीसहाय पुत्रान श्री परता जातियान अहीर निवासीयान पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. हजारी पुत्र रामनारायण
2. सुन्दरलाल
3. रमेश
4. महेश पुत्रान श्री श्योदान पौत्र श्री रामनारायण
5. सुमन पौत्री श्री रामनारायण
6. गिन्दौडी पत्नी स्व0 श्री छीतर
7. कमलेश देवी
8. किरोस्ता देवी
9. सांवत देवी
10. विमला देवी
11. सुरेश देवी
12. मुकेश देवी
13. अनेश देवी पुत्रीयान स्व0 श्री छीतर
14. सूरजभान पुत्र श्री परता जातियान अहीर निवासीयान पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
15. श्रीमन तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
16. श्रीमान उपपंजियक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

17. गुलझारी
18. शीशराम
19. महावीर
20. समुन्दर पुत्रान श्री मुरली जातियान अहीर निवासीयान पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–:तरतीबी प्रतिवादी

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज मय हु0 ई0 दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89 मय 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वादी वकील – श्री रणवीर सिंह यादव

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल ख० नं0 1685 रकबा 0.33 है0, 1930 रकबा 0.24 है0, 1931 रकबा 0.20 है0, 1955 रकबा 0.11 है0, 1956 रकबा 0.11 है0, 1957 रकबा 0.25 है0, 1958 रकबा 0.23 है0, 1959 रकबा 0.19 है0, 1960 रकबा 0.22 है0, 1961 रकबा 0.24 है0, वाके ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। आराजी ख0 नं0 1985 में से 1/3 भाग ख0 नं0 1930, 1931, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 का 1/8 भाग वाद मे विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है
2. यह है कि आराजी मुतनाजा वादी एवं प्रतिवादीगण असल व तरतीबी प्रतिवादी की खानदानी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। पक्षकारान को आराजी आला मौरूसी गणेशा पुत्र श्री रामसुख से जरिये विरासत प्राप्त हुयी है। सजरा पक्षकारान इस प्रकार है।

गणेशा पुत्र रामसुख

रामनारायण   परता   मुरली

हजारी, छीतर, श्योदान,   सुलतान   गोरीसहाक

सुन्दर, रमेश, महेश, सुमन

मुरली

गुलझारी, महावीर, समुन्दर, शीशराम

छीतर

गिन्दोडी, किरोस्ता, सांवत, विमला, मुकेश, अनेश, कमलेश, रमेश

3. यह है कि आराजी ख0 नं0 1930, 1931, 1955 से 1961 साबिक ख० नं0 835 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा से एवं ख० नं० हाल 1685 साबिक ख० नं0 581/1 से पैमूद हुये है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

4. यह है कि आराजी मुतनाजा पक्षकारान को जरिये विरासत दादा गणेशा पुत्र श्री रामसुख से प्राप्त हुयी है। दादा गणेशा की फौतगी पर विरासत इंतकाल सं0 253 सन् 1961 मे रुनारायण, परता, मुरली पुत्रान श्री गणेशा सम्भाग में विरासत में दर्ज हुआ है। आराजी मुतनाजा के अलावा अन्य आराजीयात भी पक्षकारान की है, दादा गणेशा से विरासत में प्राप्त हुयी है। आराजी मे वादीगण, प्रतिवादीगण असल, तरतीबी प्रतिवादीगण सम्भाग 1/3, 1/3 भाग पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण आराजी मुतनाजा यानि दादा गणेशा के खातेदरी की आराजी मेरे 1/3 भाग पर नसलन काबिज एवं दखिल है।
5. यह है कि आराजी मुतनाजा ख० नं0 1930, 1931, 1955 से 1961 शामिल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो रही है, जबकि आराजी मुतनाजा मे वादीगण का 1/3 भाग प्रतिवादीगण असल का 1/3 भाग व तरतीबी प्रतिवादीगण का 1/3 भाग कब्जे काश्त एवं खातेदारी का रहा है। आराजी मे वादीगण कदीमी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। आज भी मौके पर काबिज एवं दखिल है। आराजी मुतनाजा मे तरतीबी प्रतिवादीगण का नाम भी हजफ हो रहा था, जिसके लिये तरतीबी प्रतिवादी ने वाद के जरिये डिकी दिनांक 27/03/18 के जरिये अपने हिस्से की दुरूस्ती कराली और राजस्व रिकोर्ड मे तरतीबी प्रतिवादी ने अपने हिस्से तक अपने नाम का अमल करा लिया है।
6. यह कि आराजी हाल ख0 नं0 1685 रकबा 0.33 है0, में से वादी सुलतान का 1/4 हिस्सा जिस में से वादी ने 1/2 भाग भरपाई पत्नी श्री सूरजभान को विकय कर दिया, शेष 1/2 भाग पर सुलतान पुत्र श्री परता के स्थान पर सूरजभान पुत्र श्री परता खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर दिया जो काबिल दुरूस्ती है। राजस्व रिकोर्ड से सूरजभान पुत्र श्री परता का अंकन हजफ किया जाकर सुलतान पुत्र श्री परता दर्ज किया जाने के आदेश फरमाये जावे। सूरजभान पुत्र श्री परता नाम का कोई व्यक्ति नहीं है।
7. यह है कि आराजी मुतनाजा हाल ख० नं0 1930, 1931 व 1955 से 1961 मे वादीगण के दादा गणेशा का 1/8 भाग कब्जे काश्त एवं खातेदारी का रहा है। साबिक राजस्व जमाबन्दी सं0 2011 से 2014 मे रूडा, गणेशा सम्भाग चौथाई का अंकन हो रहा है। इसलिये खानदानी आराजी होने से वादीगण का आराजी मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार नोशनल शेयर बनता है, आराजी मुतनाजा दादा गणेशा के हिस्से मे से वादीगण 1/3 सम्भाग के खातेदारी की घोषणा कराने को मुश्तहक है। इसलिये आराजी मुतनाजा मे वादीगण को 1/3 सम्भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादीगण के नाम वादीगण के हिस्से तक कलमजन किये जाकर वादीगण के नाम का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

8. यह है कि आराजी मुतनाजा को वादीगण बदस्तूर काबिज होकर काश्त कर रहे है। मौके पर कभी कोई विवाद नहीं रहा इसलिये उक्त राजस्व रिकोर्ड मे हो रहे गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी। अब दिनांक 27/03/18 को डिकी के अनुसार तरतीबी प्रतिवादी ने राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त कराया तो तरतीबी प्रतिवादी ने बताया कि उपरोक्त ख0 नं0 मे वादीगण का नाम भी नहीं है. इसलिये दिनांक 28/06/18 को तरतीबी प्रतिवादी के द्वारा बताये जाने पर वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण असल से सम्पर्क किया और आराजी के राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने दुरूस्ती कराने से मना कर दिया और ऐलानिया कहा कि आराजी हमारे नाम है, और हम इसे मुन्तकिल कर देगें फिर वादीगण दुरुस्ती नहीं का सकते है, इसलिये प्रतिवादीगण को ज़रिये हु० ई० दवामी पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा के किसी भाग को कहीं रहन, बैय, हिबा से मुन्तकिल ना करे।
9. यह है कि दिनांक 27/03/18 को वादीगण को गलत इन्द्राज की जानकारी होने व दिनांक 28/06/18 को प्रतिवादीगण असल द्वारा राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त कराने से साफ इंकार करने पर बस यही तारीक बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा हु0 ई0 दवामी पेश करना लाजिम आया है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगीं।

(अ) यह करार दिया जावे कि आराजी हाल ख0 नं0 1685 रकबा 0.33 है0, मे से 1/8 वादी सं0 1 को व ख0 नं0 1930 रकबा 0.24 है0, 1931 रकबा 0.20 है0, 1955 रकबा 0.11 है0, 1956 रकबा 0.11 है0, 1957 रकबा 0.25 है0, 1958 रकबा 0.23 है0, 1959 रकबा 0.19 है0, 1960 रकबा 0.22 है0, 1961 रकबा 0.24 है0, वाके ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान मे स्थित है। आराजी ख0 नं0 1985 में से 1/8 भाग का वादी सं0 1 को व ख0 नं0 1930, 1931, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 वाके ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर मे वादीगण को 1/3 सम्भाग दर 1/8 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादीगण के नाम वादीगण के हिस्से तक कलमजन किये जाकर वादीगण के नाम का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावे व इसी कदर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद कराने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

(ब) यह करार दिया जावे कि आराजी हाल ख0 नं0 1685 रकबा 0.33 है0, 1930 रकबा 0.24 है0, 1931 रकबा 0.20 है0, 1955 रकबा 0.11 है0,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

1956 रकबा 0.11 है0, 1957 रकबा 0.25 है0, 1958 रकबा 0.23 है0, 1959 रकबा 0.19 है0, 1960 रकबा 0.22 है0, 1961 रकबा 0.24 है0, वाके ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। आराजी ख० नं0 1985 में से 1/3 भाग ख० नं0 1930, 1931, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 वाके ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर मे प्रतिवादीगण असल को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि मिन वादीगण की आराजी पर कब्जा ना करे ना काश्त कार्य मे मजाहमत पैदा करे ना आराजी मुतनाजा को कहीं रहन, बैय, हिबा से मुन्तकिल करे। रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश दिये जावे।

(स) यह है कि खर्चा मुकदमा मिन वादीगण को प्रतिवादीगण असल सं० 1 ल0 14 से दिलाया जावे।

(द) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्शी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2069–72, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2011, प्रदर्श–3 नकल इन्तकाल संख्या 253, प्रदर्श–4 नकल खसरा गिरदावरी किता–5, प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया।

लिखित बहस वादी की ओर से निम्न पेश प्रकार है–

1. यह है कि वादी ने एक वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का पेश किया कि आराजी ख०न० 1930, 1931 एवं 1955 से 1961 के साबिक ख०न० 835 रहे है उक्त आराजी एवं प्रतिवादीगण असल व तर0 प्रतिवादी के पूर्वज गणेशा पुत्र रूडा के 1/8 भाग की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की रही हैं पक्षकारान के आला मौरुष गणेशा की फौतगी पर विरास्त इन्तकाल स० 253 सन् 1961 में रामनारायण परसा व मुरली के नाम दर्ज व मंजूर हुआ है इसके पश्चात् राजस्व रिकोर्ड में आराजी तना रामनारायण के नाम दर्ज हो गई परता व मुरली के नाम हजफ कर दिये गये। जबकि रामनारायण परता मुरली आराजी मुतनाजा में सम्भाग 1/3–1/3 भाग के काबिज काश्तकार है। मौके पर सभी पक्षकार समभाग में आज भी काबिज है आराजी विवादित्त में आला मौरूषी गणेशा का 1/8 भाग कब्जेकाश्त एवं खातेदारी का रहा है, जिसमें 1/24 भाग रामनारायण, 1/24 भाग मुरली, 1/24 भाग परता (वादीगण) का रहा है

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

असल प्रतिवादी रामनारायण के वारिस है तर० प्रतिवादी मुरली के वारिस है वादीगण परता के वारिस है राजस्व कर्मचारियो की त्रुटी से बिना किसी दस्तावेज के बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के व बिना किसी न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित डिकी के खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून सालिम आराजी असल प्रतिवादी के पूर्वज रामनारायण के नाम दर्ज कर दी गई है। इसलिए वादीगण ने आराजी मुतनाजा में 1/24 भाग के खातेदारी की घोषणा किऐ जाने व राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त किये जाने बाबत अनुतोष चाहा है साबिक राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दीयात वाद पत्र में पेश है मिलान क्षेत्रफल स0 2029 इन्तकाल स0 253 की प्रतिलीपी वाद पत्र में पेश है।

2. यह है कि उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी पूर्व में तर० प्रतिवादी को हो गई थी, तर0 प्रतिवादी ने वाद दायर कर दिनांक 27/03/2018 को अदालत श्रीमान से वाद डिकी कराकर राजस्व रिर्कोड अपने हिस्से तक दुरूस्त करा लिया है। निर्णय दिनांक 27/3/2018 की छायाप्रति वाद पत्र में संलग्न है।
3. यह है कि वाद में ख0न0 1685 में वादी सुलतान 1/4 भाग का खातेदारी का रहा है वादी सुलतान ने अपने हिस्से 1/4 भाग में से 24/33 भाग का विकय भरपाई पत्नि सुरजभान को किया था, उक्त हिस्से पर भरपाई पत्नि सुरजभान का नाम दर्ज हो गया जो सही दर्ज किया गया है लेकिन वादी सुलतान द्वारा 24/33 हिस्सा विक्रय के बाद शेष हिस्सा 9/33 को वादी सुलतान पुत्र परता के बाजाय राजस्व रिकोर्ड में गलती से सुरजभानपुत्र परता के नाम बिना किसी कारण के लापरवाही से बिना किसी दस्तावेज के राजस्व रिकोर्ड में सुरजभान पुत्र परता का नाम दर्ज किया है जवकि सुरजभान पुत्र परता नाम का कोई व्यक्ति ग्राम पलावा में नहीं है सुलतान पुत्र परता के स्थान पर सुरजभान पुत्र परता गलत दर्ज किया है जो काबिल दुरूस्ती है दुरूस्त किया जावे।
4. यह है कि वादीगण का वाद प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया है प्रतिवादी की ओर से वादी के वाद का कोई विरोध नही किया है। एवं वादी ने राजस्व रिकोर्ड एवं साक्ष्य से वाद साबित किया है इसलिए वाद वादी काबिल स्वीकार है।

अतः लिखित बहस वादी की ओर से पेश कर अर्ज है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिकी फरमाया जावे।

विवेचन एवं निर्णय

प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा इश्तकारहक, दुरूस्ती इन्द्राज मय स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु अन्तर्गत धारा 88, 89 सहपठित धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

संक्षिप्त तथ्य

वादीगण का कथन है कि आराजी हाल खसरा नं. 1685, 1930, 1931, 1955 से 1961 वाके ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर मूल रूप से इनके आला मौरूसी गणेशा पुत्र श्री रामसुख की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि रही है। गणेशा की मृत्यु उपरान्त विरासत इन्तकाल संख्या 253 सन् 1961 के माध्यम से उनके पुत्र रामनारायण, परता एवं मुरली के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात राजस्व अभिलेखों में त्रुटिवश केवल रामनारायण के नाम अंकन कर दिया गया तथा परता व मुरली के नाम हजफ कर दिये गये, जबकि वास्तविकता में सभी पक्षकार अपने-अपने 1/3 सम्भाग में काबिज व काश्तकार रहे हैं।

वादीगण का यह भी कथन है कि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से बिना किसी सक्षम आदेश अथवा न्यायालयीय डिक्री के गलत इन्द्राज कर दिया गया, जो कानूनन अस्थिर एवं अवैध है।

प्रमाणों का परीक्षण

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये–

प्रदर्श–1 : जमाबन्दी सम्वत 2069–72

प्रदर्श–2 : जमाबन्दी सम्वत 2011

प्रदर्श–3 : नकल इन्तकाल संख्या 253

प्रदर्श–4 : नकल खसरा गिरदावरी

प्रदर्श–6 : मिलान क्षेत्रफल

उक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण का खानदानी अधिकार रहा है तथा वादीगण कदीमी खातेदार व काश्तकार हैं।

प्रतिवादीगण की स्थिति

प्रतिवादीगण की विधिवत तामील के पश्चात भी उनकी ओर से कोई लिखित कथन अथवा प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कथनों का कोई खण्डन न किया जाना वादी के कथनों को और अधिक पुष्ट करता है।

कानूनी स्थिति

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार वादीगण को अपने पूर्वज गणेशा के हिस्से में नोशनल शेयर प्राप्त होता है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत वादीगण खातेदारी की घोषणा एवं राजस्व अभिलेखों की दुरूस्ती पाने के पूर्णतः अधिकारी हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नं. 1685 में सुलतान पुत्र परता के स्थान पर "सूरजभान पुत्र परता" का नाम अंकित होना स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है। यह इन्द्राज बिना आधार व बिना किसी दस्तावेज के किया गया है, जो दुरूस्ती योग्य है।

निष्कर्ष

उपरोक्त समस्त तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं लागू विधिक प्रावधानों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि– वादीगण अपने दावे को प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहे हैं। राजस्व अभिलेखों में किया गया इन्द्राज त्रुटिपूर्ण एवं कानून विरुद्ध है। वादीगण को आराजी मुतनाजा में अपने 1/3 सम्भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। वादीगण को आराजी हाल खसरा नं. 1685, 1930, 1931, 1955 से 1961 में 1/3 सम्भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण के नाम वादीगण के हिस्से तक राजस्व अभिलेखों से कलमजन कर वादीगण के नाम अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खसरा नं. 1685 में "सूरजभान पुत्र परता" का गलत इन्द्राज हजफ कर "सुलतान पुत्र परता" का नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाता है कि वे आराजी मुतनाजा को किसी भी प्रकार से रहन, बैय, हिबा अथवा अन्य रूप से मुन्तकिल नहीं करेंगे तथा वादीगण के कब्जे व काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
243 / 2018	25.07.2018	09.02.2026

बउनवान

1. सुलतान
2. गौरीसहाय पुत्रान श्री परता जातियान अहीर निवासीयान पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. हजारी पुत्र रामनारायण
2. सुन्दरलाल
3. रमेश
4. महेश पुत्रान श्री श्योदान पौत्र श्री रामनारायण
5. सुमन पौत्री श्री रामनारायण
6. गिन्दौडी पत्नी स्व0 श्री छीतर
7. कमलेश देवी
8. किरोस्ता देवी
9. सांवत देवी
10. विमला देवी
11. सुरेश देवी
12. मुकेश देवी
13. अनेश देवी पुत्रीयान स्व0 श्री छीतर
14. सूरजभान पुत्र श्री परता जातियान अहीर निवासीयान पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
15. श्रीमन तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
16. श्रीमान उपपंजियक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

17. गुलझारी
18. शीशराम
19. महावीर
20. समुन्दर पुत्रान श्री मुरली जातियान अहीर निवासीयान पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

—:तरतीबी प्रतिवादी

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज मय हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 मय 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक** 09.02.2025 को **श्री सृष्टि जैन, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। अन्तिम पर्चा डिकी जारी की जाती है :—

वादीगण को आराजी हाल खसरा नं. 1685, 1930, 1931, 1955 से 1961 में 1/3 सम्भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण के नाम वादीगण के हिस्से तक राजस्व अभिलेखों से कलमजन कर वादीगण के नाम अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खसरा नं. 1685 में "सूरजभान पुत्र परता" का गलत इन्द्राज हजफ कर "सुलतान पुत्र परता" का नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाता है कि वे आराजी मुतनाजा को किसी भी प्रकार से रहन, बैय, हिबा अथवा अन्य रूप से मुन्तकिल नहीं करेंगे तथा वादीगण के कब्जे व काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner